"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013— पौष 3, शक 1935

छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप,रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ - 44/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1433. — छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर, 2009 में नगर पंचायत राजपुर, जिला-बलरामपुर, (अविभाजित जिला-सरगुजा) (छ. ग.) के 01 अभ्यर्थी को निरर्हित घोषित किया है, कि सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है. .

एस. के. सिपारी,
उप-सचिव

प्रकरण क्रमांक एफ - 44/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. कमला प्रधान, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत राजपुर जिला बलरामपुर (अविभाजित जिला सरगुजा) (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 13 दिसम्बर 2013.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित जिला सरगुजा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 4 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपंचायत राजपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपंचायत राजपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी कमला प्रधान ने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पूर्व दिनांक 13 दिसम्बर 2009 को निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया है. अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2009 तक के निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया है एवं दिनांक 14 दिसम्बर 2009 से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 तक हुए निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक निर्वाचन व्ययों का पूर्ण लेखा संधारित किया जाना अनिवार्य है .

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी कमला प्रधान से दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब (लिखित अभ्यावेदन) 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा (नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक के निर्वाचन व्ययों का लेखा) अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगरपंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी कमला प्रधान को दिनांक 20 अक्टूबर 2013 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उसके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया . ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है ; उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई .

4. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2009 से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 तक हुए निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण के संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने अपने ज्ञापन दिनांक 3 सितम्बर 2013 द्वारा अवगत कराया कि तत्संबंध में अभ्यर्थी से जानकारी चाही गई थी किन्तु सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है . अतएव समयावधि में निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा अधिसूचित अधिकारी को विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को निरर्हित घोषित करने की अनुशंसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई .

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया . निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी कमला प्रधान ने निर्वाचन व्ययों का पूर्ण लेखा प्रस्तुत नहीं किया है वरन् दिनांक 13 दिसम्बर 2009 तक का ही व्यय लेखा प्रस्तुत किया है . यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है . अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

" **धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**-प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है . अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

" **धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना** - अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक निर्वाचन व्ययों का पूर्ण लेखा संधारित किया जाकर धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है . निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी कमला प्रधान के द्वारा मात्र 13 दिसम्बर 2009 तक का निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया जबकि उनकी उस तारीख जिसको उनको नामनिर्दिष्ट किया गया था, और निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख 27 दिसम्बर 2009 के बीच का निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य था . अभ्यर्थी कमला प्रधान द्वारा अधिनियम की धारा -32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा संधारित कर अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना जवाब (लिखित अभ्यावेदन)आयोग को प्रस्तुत किया . यह अधिनियम की धारा -32- क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है . अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी कमला प्रधान प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है . अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है . लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है . तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी कमला प्रधान को निर्वाचन व्ययों का पूर्ण लेखा विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग(ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए नगरपंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है . अधिनियम की धारा 32 -ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए .

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 13 दिसम्बर 2013 को जारी किया गया .

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.